आवंटन (7)
अनुदान संख्या–14(आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010600–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद– बलिया एवं हापुड।

संख्याः 1/शा0/102/2016–1/76/2016 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–77/2016/2650/33–3–2016–100(12)/2014 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत जनपद बदायूं में रू0 89.832 लाख (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है को जनपद बलिया को रू0 19.963 लाख तथा हापुड को रू0 9.981 लाख, **कुल रू0 29.944 लाख (रू0 उनतीस लाख चौरानवे हजार चार सौ मात्र)** की धनराशि पुर्नआवंटित किये जाने की अनुमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वंय अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746/दस–2016 –231/2016 दिनांक 22–03–2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया

जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि छोड़ते हुए अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित उपलब्ध करायी जाएगी।

5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24 -वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7- सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10-जनपद स्तर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–145 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1 / शा0 /165 / 1 / 2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
4. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी, बलिया एवं हापुड़।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया एवं हापुड़।
7. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
9. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

cc road 14-83 allotment 2016-17

77/2016

संख्या–2650/33–3–2016–100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2016

विषयः– डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत जनपद–बदायूं के चयनित ग्रामों हेतु दी गयी धनराशि में से प्राप्त बचत की धनराशि का जनपद–बलिया एवं हापुड़ की मांग के सापेक्ष पुर्नआवंटन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/3947/2016–5/129/2016, दिनांक 14.10.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत जनपद–बदायूं में रू. 89.832 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है तथा जनपद– बलिया से रू. 20.00 लाख तथा जनपद–हापुड़ से रू. 10.00 लाख की मांग की गयी है। इसमें से निदेशालय के कन्टीजेन्सी मद हटाकर जनपद–बलिया को अनुदान संख्या–14 में से रू. 19.963 लाख एवं जनपद–हापुड़ को रू. 9.981 लाख की धनराशि पुर्नआवंटन के माध्यम दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत जनपद– बदायूं में रू. 89.832 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद– बलिया में रू. 19.963 लाख एवं जनपद–हापुड़ को रू. 9.981 लाख की धनराशि को पुर्नआवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– उक्त पुर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015–16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांकः–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया एवं हापुड़।
5. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, बलिया एवं हापुड़।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
8. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14 (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या-14 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यांश) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बलिया	30	20.000	0.000	20.000	18.625	1.375	20.000	0.037	0.279	0.019	0.019	0.019	0.335	0.373	18.253
2	हापुड़	12	10.000	0.000	10.000	9.313	0.688	10.000	0.019	0.140	0.009	0.009	0.009	0.168	0.186	9.126
	कुल	**42**	**30.000**	**0.000**	**30.000**	**27.938**	**2.063**	**30.000**	**0.056**	**0.419**	**0.028**	**0.028**	**0.028**	**0.503**	**0.559**	**27.379**

(रुपया तीस लाख रुपये मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-21/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-102-2016-1-76-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 013-76-2016

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत निर्माण कार्य	योग
1	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1996300 69869700	1996300 69869700
2	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	998100 32938500	998100 32938500
	योग	वर्तमान प्रगामी	2994400 102808200	2994400 102808200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उन्तीस लाख चौरानवे हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ अठाईस लाख आठ हजार दो सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी